प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01022/2021-2022 दिनांक 21/10/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/JHA/10178/2021-2022 पत्रावली संख्या:J-14491 दिनांक:2001-2002

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीमती विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी, सध्या सदन गेट नं0 3 मेडिकल कालेज के सामने कानपुर रोड झांसी उ0प्र0,** झांसी , **284128** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-397/2001-02 दिनांक-24/09/2001 को दिनांक-24/09/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(ANAND KUMAR SINGH)
5AC5EC0AA86E07DBC2EA16C908B64995A751E2ED
Date: 21/10/2021 1:47:03 PM, Location: Jhansi .

जारी करने का दिनांक-21/10/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

BHARAT BHOOSHAN NAMDEV-ACC CODE-UP 14351204
L.No. 142
JHANSI
(U.P.)

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP48935173189900T
Certificate Issued Date	:	31-Aug-2021 03:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14351204/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14351204866546697732441T
Purchased by	:	SMT VIDYAVATI EDUCATIONAL SOCIETY
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SMT VIDYAVATI EDUCATIONAL SOCIETY
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SMT VIDYAVATI EDUCATIONAL SOCIETY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश झाँसी

----------Please write or type below this line----------

यह जनरल स्टाम्प पपर श्रीमती
विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी
जिला झाँसी पत्रावली सं० J-14491 के
प्रबन्धसमिति के साथ संलग्न है।
कन्नी 2021-22

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 झाँसी
21/10/2021

श्रीमती विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी, संध्या सदन, मेडीकल कॉलेज गेट न0 3 के सामने, झाँसी

प्रबंध समिति की सूची 2021--22

क0सं0	पदनाम	सदस्य का नाम	पता	व्यवसाय
1	अध्यक्ष	श्री विद्यानिधि मिश्र पुत्र स्व0 दयानिधि मिश्र	संध्या सदन, मेडीकल कॉलेज गेट न0 3 के सामने, झाँसी	व्यवसाय
2	उपाध्यक्ष	श्रीमती संध्या मिश्रा पत्नी श्री विद्या निधि मिश्र	संध्या सदन, मेडीकल कॉलेज गेट न0 3 के सामने, झाँसी	व्यवसाय
3	सचिव	श्री मानस मिश्र पुत्र श्री विद्या निधि मिश्र	संध्या सदन, मेडीकल कॉलेज गेट न0 3 के सामने, झाँसी	व्यवसाय
4	उपसचिव	श्रीमती मधुर लता चतुर्वेदी पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी	ई./ई. 4,जे0डी0ए0, कालोनी,झाँसी	समाजसेवी
5	कोषाध्यक्ष	श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व0 सन्त प्रसाद चतुर्वेदी	ई./ई. 4,जे0डी0ए0, कालोनी,झाँसी	व्यवसाय
6	सदस्य 1	डा0 देवनिधि मिश्र पुत्र स्व0 दयानिधि मिश्र	देवालय, गेट न0 3 के सामने, मेडीकल कालेज, झासी	चिकित्सक
7	सदस्य 2	श्री हरी ओम पाठक पुत्र श्री सीताराम पाठक	सिद्वेश्वर मंदिर, झाँसी	समाजसेवी
8	सदस्य 4	डा0 अवधेश कुमार व्यास पुत्र श्री भवानी दत्त व्यास	डी.एम. 2/5, वीरांगना नगर, झाँसी	चिकित्सक
9	सदस्य 5	श्री अनिल कुमार वैद्य पुत्र स्व0 टी0 डी0 वैद्य	जय प्रकाश नगर, कोंच, जालौन	समाजसेवी
10	सदस्य 6	डा0 मनोज मिश्र पुत्र डा0 देवनिधि मिश्र	देवालय, गेट न0 3 के सामने, मेडीकल कालेज, झाँसी	चिकित्सक
11	सदस्य 7	श्री प्रभात कुमार जैन पुत्र श्री चेतनलाल जैन	निकट कुँज बिहारी मन्दिर, सिविल लाईन, झाँसी	व्यवसाय
12	सदस्य 8	श्री विजय गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	60, गणेश बाजार, झाँसी	ठेकेदार
13	सदस्य 9	श्री मुदित मिश्र पुत्र श्री विद्या निधि मिश्र	संध्या सदन, मेडीकल कॉलेज गेट न0 3 के सामने, झाँसी	सर्विस

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।
21/1/2021

Sandhyamisra
मधुरलता

(8)

समिति की नियमावली (संशोधित)

1. संस्था का नाम : श्रीमती विद्यावती एजूकेशनल सोसायटी
2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय : संध्या सदन, गेट न0- 3 मेडिकल कालेज के सामने कानपुर रोड झाँसी
3. संस्था का कार्यक्षेत्र एवं न्याय क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा । : एवं न्याय क्षेत्र झाँसी रहेगा ।
4. संस्था के उददेश्य : संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार रहेंगे ।

2. संस्था की साधारण सभा

: संस्था की साधारण सभा निम्न प्रकार रहेगी -

1. संस्था के सदस्य जिन्होनें स्मृति - पत्र पर हस्ताक्षर किये है एवं संस्था का प्रारम्भिक गठन किया है ।
2. जनता का कोई व्यक्ति समिति/ संस्था जिसने एक मुश्त रूपये 25000/- संस्था को दान स्वरूप दिये हो और जिसे संस्था के दो तिहाई सदस्य ने वहुमत से स्वीकार करें। समिति या संस्था अपने किसी भी सदस्य को एक निश्चित समय के लिये नामित कर सकती है ।
3. कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे साधारण सभा दो तिहाई वहुमत से स्वीकार करें ।
4. संस्था मे साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या बीस से अधिक नही होगी ।

3. सदस्यों की नामावली :

1. संस्था सदस्यों की नामावली रहेगी जिसमें उनके वर्तमान पते व हस्ताक्षर होंगे । नामावली पर बिना हस्ताक्षर किये व्यक्ति संस्था का सदस्य नही माना जायेगा । और उसे संस्था के सदस्य के कोई अधिकार प्राप्त न हो सकेगें ।

4. संस्था के सदस्य का पता :

1. यदि संस्था के किसी सदस्य का पता परिवर्तित होता है तो उसे संस्था के प्रबन्धक को सूचित करना होगा ।

Laxmi मधुरलता

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
19-2-05

(7)

5. कार्यकाल सदस्यता का :

अ - अगर किसी सदस्य को समिति सरकारी प्रतिनिधि या दूसरी संस्थाओ द्वारा नामित होने के आधार पर सदस्यता प्राप्त है तो उस सदस्य द्वारा उस निकाय को त्यागने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी ।

ब - संस्था का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्याग पत्र, प्रबन्धक को दे सकता है । उसका त्याग पत्र प्राप्ति की तिथि से स्वीकार माना जायेगा परन्तु ऐसा सदस्य जो संस्था कार्यकारिणी का पदाधिकारी है, उसका त्याग पत्र स्वीकृति के दिनांक से माना जायेगा ।

स - किसी सदस्य से पागल, दिवालिया हो जाने पर न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित किये जाने पर या संस्था के नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर संस्था की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी ।

द - यदि कोई सदस्य संस्था के नियमों के या संस्था की गरिमा के विरूद्ध कार्य करता है, तो साधारण सभा दो तिहाई वहुमत से प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर सदस्यता समाप्त कर सकेगी । साधारण सभा किसी भी ऐसे सदस्य को सदस्यता समाप्ति से पहले अगली सभा तक निलम्बित भी कर सकती है । परन्तु ऐसे सदस्य को जिसकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव है, वह उस साधरण सभा, जिसमें कि उसकी सदस्यता समाप्ति पर विचार होना है को सम्बोधन करने का अधिकार होगा ।

य - कोई भी व्यक्ति त्याग पत्र देता है या सदस्यता से हटाया जाता है , उसका नाम सदस्यता की नामावली से हटा दिया जायेगा और उसे कोई धनराशि जो उसके द्वारा दी गयी है, उसको या उसके किसी भाग को पाने का हकदार नही होगा ।

6 - संस्था की साधारण सभा -:

संस्था की साधारण सभा की बैठक वितिय बैठक वर्ष की समाप्ति पर तीन माह के अन्दर ऐसे समय और स्थान जो कि अध्यक्ष द्वारा नियत होगा, बुलाई जायेगी । साधारण सभा में पिछली साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि प्रबन्ध समिति की वार्षिक आख्या पर विचार, वार्षिक लेखा एवं अगले वर्ष के बजट जो कि प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकार किया गया हो, विचार और प्रबन्ध समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का नियम 13 के अन्तर्गत निर्वाचन करेगी । बैठक के अन्य विषय जो कि 3 या 3 से अधिक सदस्यों द्वारा, जिसकी सूचना सदस्यों द्वारा प्रबन्ध की मीटिंग की दिनांक से कम से कम 4 दिन पहले लिखित रूप में सूचित किया गया हो, व अन्य विषयों पर भी अध्यक्ष की अनुमति से विचार करेगी ।

सत्य-प्रतिलिपि

मधुरलता

सहायक रजिस्ट्रार
फार्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
19-2-05

(6)

7 – प्रबन्ध समिति की एक तिहाई या अधिक सदस्यों की माँग पर या साधारण सभा के एक चौथाई या अधिक सदस्यों की माँग पर अध्यक्ष संस्था की साधारण सभा की विशेष बैठक बुलायेगा साधारण सभा की बैठक उन्ही विषयों पर विचार करेगी जो प्रस्तावित हुए है और जिन्हे प्रबन्धक या संस्था के पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा नियमानसार भेजा गया है । इस प्रकार की माँग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अध्यक्ष अधिनियम 8 के नियमानुसार संस्था की बैठक एक माह के अन्दर बुलाएगा । कोई भी विषय जो इस माँग मे सम्मिलित नही है और न ही नोटिस मे दर्शाया गया है पर विचार इस विशेष बैठक में नही होगा । परन्तु किसी विशेष आवश्यक कार्य को अध्यक्ष की अनुमति से विचारार्थ रखा जा सकता है ।

8 सूचनायें :-

अ – साधारण सभा की बैठक हेतु सूचना दिनांक, समय, स्थान एवं कार्य सूची के साथ प्रत्येक सदस्य को सभा के दिन से 10 दिन पुर्व भेजी जायेगी । यदि संस्था के किसी सदस्य को सूचना प्राप्त नही हुई है तो भी सभा की कार्यवाही गणपूर्ति होने पर सम्पन्न हो सकती है ।

ब – यदि कोई सदस्य संस्था के कार्यो से सम्बन्धित कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे संस्था के पास आवेदन, पाँच कार्य दिवस पुर्व करना होगा ।

9 :- संस्था का अध्यक्ष ही साधारण सभा तथा सभी सभाओं को संचालित करेगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उसके बाद उपस्थित सदस्यों मे से किसी भी सदस्य को बहुमत से उपस्थित सदस्य अध्यक्षता हेतू चुन लेगें । अध्यक्ष की इच्छानुसार ही कार्य का क्रम, जिस प्रकार कार्यक्रम संचालित होना तय होगा । किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले सदस्यों की संख्या अध्यक्ष निश्चित कर सकता है कार्य सूची मे दिये गये बिन्दूओं के अतिरिक्त किसी अन्य विन्दु पर विचार हेतु अनुमति दे सकता है ।

10. गणपूर्ति :-

गणपूर्ति हेतु संस्था के एक तिहाई सदस्यों की साधारण सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति आवश्यक है । सदस्यों की माँग पर बुलाई गई सभा मे यदि गणपूर्ति नही होती है तो माँग निरस्त मानी जायेगी । अन्य स्थितियों में सभा अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि के लिये स्थगित होगी । इस स्थगित सभा में होने की सूचना सभी सदस्यों को भेंजी जायेगी और इस सभा के लिये गणपूर्ति आवश्यक नही होगी ।

11. मतदान :-

प्रतिकूल नियमों को छोड. कर संस्था की सभा में सभी विषयों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय होगा । प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा । मतदान में दोनो पक्षों की संख्या समान होने की दशा में अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा ।

मधुरलता

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फार्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
19-2-05

(5)

12 - प्रबन्ध समिति -

प्रारम्भ में प्रबन्ध समिति में सात सदस्य जो कि संस्था के सदस्य होगे । बाद में वह संख्या 20 तक बढाई जा सकती है । प्रत्येक प्रबन्ध समिति का कार्य काल 3 वर्ष या साधारण सभा की तीसरी वार्षिक बैठक जों भी पहले हो तक होगा । साधारण प्रबन्ध समिति के लिए किसी भी सदस्य को फिर से निर्वाचित कर सकती है ।

13 - प्रबन्ध समिति के लिए निर्वाचन -

अ - प्रबन्ध समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए उस साधारण सभा से जिसमें निर्वाचन होना है कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित में प्रबन्धक को प्राप्त कराना होगा प्रत्येक नामांकन संस्था के तीन सदस्यों के तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा । यह नामांकन साधारण सभा में प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किए जायेंगे और साधारण सभा प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रबन्ध समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन करेगी । यदि साधारण सभा चाहे तो निर्वाचन कराने हेतु किसी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और उसके लिए नियम साधारण सभा या निर्वाचित अधिकारी बनाने हेतु सक्षम होंगे ।

ब - प्रबन्ध समिति किसी भी विशेष सम्मानित व्यक्ति को प्रबन्ध समिति में तीन वर्ष के लिए सहयोजित सदस्य के रूप में नामित कर सकेगी । जिसकी पुष्टि अगली साधारण सभा में आवश्यक होगी । इन सदस्यों को मतदान के अतिरिक्त सभी अधिकार प्राप्त होंगे ।

स - अध्यक्ष प्रबन्ध समिति के सहमति से समिति का चुनाव विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 6 माह तक बढा सकता है ।

14- प्रबन्ध समिति के अधिकार एंव उत्तरदायित्व -

प्रबन्ध समिति संस्था के सभी व्यवस्थाओं के लिए उत्तारदायी होगी व उसको संस्था के स्मृति - पत्र में लिखित उददेश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के अधिकार होंगे ।

15 - नीति/ नियम निर्धारण:-

बिना उपरोक्त अधिकारों के हनन के प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा कि वह सेस्था के उददेश्यों की पूर्ति व संचालन हेतु नीतियों / नियमों का निर्धारण कर निभिन्न उप - समितियों का संस्था के संचालन हेतु गठन कर सकें ।

Laxmi मधुरलता

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झांसी
17-2-05

(4)

16 - सामान्य व वित्त प्रबन्ध -

अ- प्रबन्ध समिति को संस्था के धन को खर्च करने विनिधान संविदा बैंक खाता खोलना वार्षिक बजट वनाने के अधिकार होगा और उसके लिए आवश्यक नियम व निर्देश स्थापित करेगी ।

ब - प्रबन्धक समिति संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी एवं उनके सेवा नियम बनायेगी । समिति को कर्मचारियों को कर्मचारियों को हटानें का व उनके विरूद्ध अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

स - प्रबन्ध समिति द्वारा जरिये प्रबन्धक संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खादी ग्रामोद्योग, आयोग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग आदि अन्य विभागों व व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों से धर्मार्थ आर्थिक सहायताऐं प्राप्त करना व बैंको इत्यादि वित्तिय संस्थाओं से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना व उसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना ।

17- प्रबन्ध समिति प्रबन्धक के द्वारा संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्धन करेगी व साधारण सभा में अपनी वार्षिक आख्या, वार्षिक सम्परीक्षित लेखाओं सहित प्रस्तुत करेगी ।

18 - प्रबन्ध समिति अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को निम्नाकित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकार जो कि आवश्यक हो, दे सकेगी ।

19 - प्रबन्ध समिति की कम से कम वर्ष में चार बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में उसकी सहमति से होगी । प्रबन्ध समिति के निर्णय बहुमत से होगें ।

20 - अध्यक्ष किसी भी समय व प्रबन्ध समिति के तीन सदस्यों के आवेदन पर प्रबन्ध समिति की आवश्यक सभा बुलाएगा ।

21- प्रबन्ध समिति की बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दो दिन पूर्व दी जाना आवश्यक है, सभी सूचनाऐं लिखित दी जायेगी । प्रबन्ध समिति की बैठकों की गणपूर्ति कुल संख्या की तिहाई होगी, स्थगित बैठकों के लिए गणपूर्ति की वाध्यता न होगी बसर्ते कार्यसूची न बदली गई हो ।

Laxmi

मधुरलता

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
19-2-05

22. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार/कर्तव्य : -

अध्यक्ष के अधिकार :-

क - समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ।

ख - संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य करना ।

ग - प्रस्तावों पर सभा का मत प्राप्त करना, गतिरोध उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देना व समिति द्वारा संस्थाओं की देख-रेख करना व बैठकों मे शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।

23 - अन्य पदाधिकारी -

उपाध्यक्ष -: अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके समय कार्यो का निर्वहन करना व अध्यक्ष को उसके कार्या मे सहायता करना।

प्रबन्धक - 1- संस्था के कार्यकलापों को सम्पन्न करना ।

2 -संस्था के बाहर जाने वाले कागजात तथा रिकार्ड का सत्यापन एंव हस्ताक्षरित करना।

3 -संस्था की पूंजी का प्रबन्ध समिति द्वारा पास नियमों के आधीन रखना व संस्था में प्राप्त चन्दा. दान. अनुदान व ऋण आदि प्राप्त करना।

4 -प्रबन्धक समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को संस्था की उन्नति हेतु हर सम्भव प्रयास से कार्यान्वित करना।

5 -समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना , संस्था के सभी अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना ।

6 - प्रबन्धक को कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि करने का अधिकार प्रबन्ध समिति की प्रत्याशा में नियमानुसार होगा ।

उपप्रबन्धक -: प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके कार्यो को सम्पादित करना ।

कोषाध्यक्ष -: आय तथा व्यय का सम्पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख तैयार करना, एवं उनका रख रखाव करना

24. कार्यकाल -: चयनित प्रबन्ध समिति तीन वर्ष तक कार्य करेगी ।

सत्य-प्रतिलिपि

मधुरलता

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
19-2-05

25. आय के स्रोत -:

संस्था के आय के स्रोत निम्नलिखित होंगे -सदस्यों से प्राप्त कोई राशि, विद्यार्थियों से प्राप्त फीस, विनिधान (Investment)से आय, सरकारी या किसी अन्य संस्था, व्यक्ति द्वारा प्राप्त अनुदान व दान ।

26. वित्तिय वर्ष :-

संस्था के वित्तिय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च तक होगा ।

27. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था)

संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोल कर रखा जायेगा । खाते का संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से होगा ।

28. आय व्यय निरीक्षक -:

संस्था के सम्पूर्ण आय-व्यय आडिट किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट जो कि साधारण सभा द्वारा नियुक्त होगा प्रत्येक वर्ष कराया जायेगा ।

29. वार्षिक आख्या -:

प्रबन्धक संस्था के वर्ष में किये गये कार्यकलापों की आख्या तैयार करेगा जो कि प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित कराकर साधारण सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा ।

30. संस्था का पंजिकृत कार्यालय संध्या सदन गेट नं0 3 मेडिकल कालेज के सामने कानपुर रोड झाँसी होगा

31. संस्था के सदस्यों को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर कराकर या डाक द्वारा सदस्य के अंकित पते पर बुक पोस्ट द्वारा भेजी जायेगी ।

32. संस्था के स्मृति पत्र या नाम में परिवर्तन सोसायटी एक्ट के अर्न्तगत ही करा जा सकेगा

33- संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन प्रक्रिया 1. संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन सभा के दो तिहाई बहुमत के आधार पर होगा ।

34. संस्था का विघटन :-

संस्था का विघटन और विघटित संम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 एवं 14 के अनुसार ही होगी साधारण सभा दो तिहाई मत से विघटन की कार्यवाही कर सकेंगी । विघटन होने पर संस्था की कोई भी धनराशि देनदारियों के बाद बचने पर संस्था के सदस्यों में किसी भी तरह से नही बांटी जायेगी । ऐसी धनराशि किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं जिनके उद्देश्य शिक्षा के उत्थान हेतु हो उन्हे साधारण सभा की सहमति से बाँट दिया जायेगा ।

35. संस्था की कोई भी कार्यवाही संस्था के नियमों मे किसी कमी की वजह से अविधिमान्य नही मानी जायेगी । साधारण सभा की ऐसी किसी भी कार्यवाही की पुष्टि का अधिकार होगा ।

36. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक को अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा ।

सत्य-प्रतिलिपि

Lakshmi रश्मी मधुरलता

सहायक रजिस्ट्रार
फार्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र०, झांसी
19-2-05

प्रतिलिपि कर्ता